न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 181 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. बाबूराम पुत्र लूणाराम मेघवाल निवासी– ग्राम नूरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर।		1. राखी अग्रवाल पत्नि जितेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी– जी–54, शास्त्री नगर जोधपुर। 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जोधपुर। 3. भू0अ0निरीक्षक, वृत बाप। 4. पटवारी, हल्का नूरे की भुर्ज, तहसील बाप जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 27.09.2021 जो उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73 / 2019 राखी अग्रवाल बनाम राज्य वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अमित मेहता, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह राहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 17 जनवरी,2022

अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73 / 2019 राखी अग्रवाल बनाम राज्य वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 के विरूद्व यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपील दिनांक 04.10.2021 को प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक की ओर से राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया उनकी खातेदारी की ग्राम नुरे की भुर्ज के ख0स0 157 / 1 रकबा 153.15 बीघा, 152 / 2 रकबा 30 बीघा, ख0सं0 157 / 3 रकबा 100,

17/1/2022

ख0सं0 157/4 रकबा 35 बीघा, ख0सं0 157/9 रकबा 20 बीघा, ख0सं0 157/10 रकबा 50 बीघा भूमि आई हुई है, उसकी नक्शा लट्ठा में तरमीम कराने की चाराजोही की गई।

3. अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है जो निरस्त योग्य है क्योंकि इस प्रकरण में इन्हीं पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि बाबत एक अपील/टीए/संख्या/4053/2017 बअनवान राखी अग्रवाल बनात बाबूराम वगैराह राजस्व मण्डल अजमेर में वर्तमान में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में इन्हीं पक्षकारो के द्वारा न्यायालय को गुमराह कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि रेस्पो0 को धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी पक्षकार के हक–अधिकार तय नहीं किये जा सकते। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया/रेस्पो0 राखी अग्रवाल द्वारा जिस भूमि बाबत कागजी रजिस्ट्री से वर्तमान में खरीद की, उसका मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और उसकी खरीदशुदा भूमि के अडौस–पडौस भी नहीं बताये गये है। अपीलान्ट बाबूराम का खसरा संख्या 156 रकबा 176.09 बीघा भूमि पर उनके पिता लूणाराम के जीवनकाल से ही जो सेटलमेन्ट से खातेदार है।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक द्वारा जिस भूमि बाबत रजिस्ट्री से वर्तमान में खरीद की बताया है उसका मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और खरीदशुदा भूमि के आस–पडौस भी नहीं बताये गये और नहीं कभी कब्जा रहा है। खसरा संख्या 157 का रकबा जमाबन्दी अनुसार मौके पर नहीं है, बल्कि कम है, उक्त भूमि पर अपीलान्ट एवं उसके पिता का सेटलमेन्ट से ही खातेदारी है जिसमें अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत जल्दी सुनवाई किये का, पेश करने का अधिकार नहीं था और राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार बाप भी पक्षकार संस्थित है जिनके द्वारा वास्तविक स्थिति को छुपाते हुए रेस्पो0 संख्या एक के मिलीभगत कर जवाब पेश किया था। अपीलान्ट की ख0सं0 156 रकबा 176.09 बीघा भूमि है जिसमें वर्तमान में तारबंदी, कृषि टयूबवैल बना है और फसल भी खडी है और ख0सं0 157 रेस्पो0 की भूमि है। उक्त ग्राम नूरे की भुर्ज के ख0सं0 156 व 157 की सीमा के मध्य कोई विवाद नहीं था, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार बाप ने मिलीभगत करते हुए स्वार्थ सिद्धी हेतु विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया जो निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत मौके की वास्तविक स्थिती, मौका रिपोर्ट वादग्रस्त ग्राम नूरे का ख0सं0 156, 157 की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाए जाने का पेश किया। साथ ही इन्हीं पक्षकारों के मध्य राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण के विचाराधीन होना बताया तथा

17/11/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

उसके अन्तिम निस्तारण तक सुनवाई स्थगित करने का भी निवेदन किया। अगर मौका की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती तो वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती। मगर मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं बताया। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या एक को उसकी खातेदार भूमि में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलान्ट के पिता लूणाराम द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी फलौदी के कार्यालय में की गई। जिसकी पालना तहसीलदार फलौदी द्वारा तरमीम कार्यवाही सम्पादित कर दी गई है। उखण्ड अधिकारी फलौदी के उक्त दिनांक 24.11.75 के विरूद्व न तो सरकार नें अपील की और ना ही पूर्व भू मालिक जो राखी अग्रवाल से पहले था, के द्वारा अपील पेश की गई।

6. ऐसी स्थिति में एक ही भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय अलग –अलग आदेश नहीं कर सकते अर्थात उपखण्ड अधिकारी बाप को प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं था क्योंकि इस विवाद का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका था। खसरा संख्या 157 के लिये भी शुद्धिकरण के लिये आज दिन तक किसी भी खातेदारान द्वारा कोई आवेदन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में तरमीम को निरस्त कर रेकार्ड को शुद्धिकरण करने के अलग–अलग आदेश जारी नहीं किये जा सकते है। न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ख0सं0 156 व 157 के लटठा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती मुख्य विषय वस्तुत है। उक्त प्रकरण में यह भी विवाद है कि मौके पर किस पक्ष के पास कितनी भूमि है इसलिये प्रकरण के अंतिम व निष्पक्ष निस्तारण के लिये आवष्यक है कि वादग्रस्त भूमि पर मौके की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जावे। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में रहवासिय मकान बना हुआ है तथा रेस्पो0 संख्या एक को उनकी भूमि पर दखलअंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, 100 बीघा भूमि का जो अन्तर बताया जा रहा है वह वास्तव में कोनसे खसरे से हुआ है। दोनों खसरों के बीच 156 व 157 के बीच मौके पर कदीमी पुरानी बडी माठ बनी हुई है। उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.11.75 व तहसीलदार फलौदी के आदेश दिनांक 28.11.75 की पालना में ख0सं0 156 की माठ की तरमीम लाल स्याही से कर अपीलार्थी की रकबा 100 बीघा भूमि की तरमीम की गई। जो नक्शा लटठा में मौजूद है। ऐसे में ख0.सं0 156 नक्शा लटठा में मौजूद तरमीम का ही भाग है। जबकि ख0सं0 157 के रेकार्ड अनुसार मौके पर भूमि कम है।

7. अपीलान्ट अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई एक प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत वादग्रस्त भूमि की मौके की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाने का निवेदन किया। तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किये जाने एवं उपखण्ड अधिकारी बाप के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। जिस पर निर्णय अपील निर्णय के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया।

7/11/2022

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

8. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता यह कथन किया कि अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत वादग्रस्त भूमि की मौके की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा उसे अस्वीकार का निवेदन किया। जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्णय नजीर 2021 (2) डीएनजे (REV) 1199 बदराम वगैराह बनाम भैरूलाल दिनांक 20.09.2021 का तथा 2012 डीएनजे (RAJ) प्रेमरतन बनाम रेन्ट ट्रिब्यूनल वगैराह दिनांक 14.12.2011 का अवलोकन करवाया जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र में खारिज किये गये है एवं साक्ष्य एकत्रित करने हेतु/मौका कमिश्नर नियुक्त व मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु न्यायालय के विवेकाधीन के अधिकार में होना बताया तथा पक्षकार स्वयं को अपना प्रकरण साबित करने का उल्लेखित किया न कि न्यायालय की मदद से साक्ष्य से एकत्रित करने।

9. रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता यह भी कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र उनकी खातेदारी की ग्राम नुरे की भुर्ज के पूर्व खसरा संख्या 157 वर्तमान ख0सं0 157/1 रकबा 153.15 बीघा, 152/2 रकबा 30 बीघा, ख0सं0 157/3 रकबा 100, ख0सं0 157/4 रकबा 35 बीघा, ख0सं0 157/9 रकबा 20 बीघा, ख0सं0 157/10 रकबा 50 बीघा भूमि आई हुई है, तथा उसका कब्जा चला आ रहा है। उनके द्वारा दिनांक 07.04.2018 को पटवारी से उक्त खसरान भूमि के नक्शे की प्रमाणित प्रति की गई जिसमें उनकी खरीदशुदा भूमि ख0सं0 157 व मूल खसरे में लाल स्याही से तरमीम होने का ज्ञात हुआ। तब उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करते हुए इस प्रकार की कार्यवाही यानि पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक ने बिना सक्षम आदेश के प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या एक की खातेदारी भूमि में लगभग 100 बीघा रकबा भूमि की नक्शे में तरमीम तरमीम कर दिये जाने एवं बिना बटटा नम्बर डाले ही खसरे की गई तरमीम को दुरूस्त कराने का निवेदन किया एवं पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने प्रार्थीया को बिना सुने व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध राजस्व नक्शें में तरमीम कर दी जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

10. रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता यह कथन किया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, न्यायालय जोधपुर में प्रकरण संख्या 69/5 निणर्य दिनांक 26.4.2017 में इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया व प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त न्यायालय द्वारा राजस्व कर्मचारियों को कोई तरमीम करने का अधिकार नहीं दिया है। इसमें मात्र प्रार्थीयों को पक्षकार डिलीट कर निर्णय प्रतिप्रेषित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा उपखण्ड अधिकारी के किसी 1975 के आदेश के कम में बिना किसी प्रशासनिक आदेश के तहत अपीलान्ट बाबूराम से मिलीभगत करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की भूमि में तरमीम कर दी गई और

17/11/2022
डिविजनल कमिश्नर

उनकी 100 बीघा भूमि की अपूर्णनीय क्षति पहुंचा दी जो दुरूस्ती योग्य है। यदि कोई प्रशासनिक आदेश तत्समय हुआ हो तो उसकी कियान्विति 38 वर्ष पश्चात करना बदनियतीपूर्ण है और उक्त आदेश की पालना करवाने हेतु भी सक्षम न्यायालय/अधिकारी कार्यालय से आदेश प्राप्त करना था। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम नूरे की भुर्ज के ख0सं0 157 के नक्शा ट्रेस में बिना बटटा नमबर की गई तरमीम को निरस्त करावे।

11. रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाप से जवाब प्राप्त किया गया था जिसमें ग्राम नूरे की भूमि के ख0सं0 157 के नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है लेकिन उक्त तरमीम में किसी प्रकार के खसरा नम्बर या बटटा नम्बर दर्ज नहीं है। उक्त तरमीम ख0सं0 156 के विपती भूमि ख0सं0 157 में हो रखी है जिसे निरस्त किया जाना उचित है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी बाप के द्वारा सरकारी पक्ष तहसीलदार बाप से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार बाप ने प्रार्थना पत्र में अंकित चाहा गया अनुतोष यानि तरमीम को निरस्त किया जाना उचित बताया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को भी रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया तथा दोनों पक्षों को सुनने व अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरान्त ही अन्तिम लिया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय लिया गया है।

12. रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुए वाद को उक्त प्रार्थना पत्र से जोडा जाना उचित नहीं बताया तथा प्रकरण में नक्शा लटठा में दर्ज एक बेनामी तरमीम जिससे बने भाग के कोई नम्बर अंकित नहीं है तथा वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा भविष्य में जो भी निर्णय किया जायेगा वह स्वतः ही लागू होना माना था। साथ ही तहसीलदार बाप के द्वारा प्रस्तुत जवाब में राष्ट्रीय महत्व में डीआईएलआरएमपी कार्य को देखते हुए प्रकरण के जल्द निपटाने के निवेदन पर ही प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 157 में नक्शा लटठा में बिना नम्बर की गई तरमीम को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 27.09.2021 को पारित किया गया है वो बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को खारिज की जावें।

13. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली इत्यादि समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। तथा धारा 131 व 136 का भी अवलोकन किया यथाः--

17/1/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

धारा 131 के अनुसार (मानचित्र तथा क्षेत्रमिती फील्ड बुक का संधारण) सर्वेक्षण तथा अभिलेखन कार्य के समाप्त होने के पश्चात **भू-अभिलेख अधिकारी** द्वारा राज्य सरकार, इस विषय में बनोय गये नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जायेगी और वह प्रतिवर्श या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक गांव या गांव के भाग, भू सम्पति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लिख लेगा तथा ऐसी गलतियों को, जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में गई बतलाई जावे उसे सही करेंगा।

धारा 136 के अनुसार गलतियो का शुद्धिकरण - भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकारी अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

14. अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि रेस्पो0 को धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी पक्षकार के हक–अधिकार तय नहीं किये जा सकते। तथा यह भी आपत्ति उठाई है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीया/रेस्पो0 राखी अग्रवाल द्वारा जिस भूमि बाबत कागजी रजिस्ट्री से वर्तमान में खरीद की है, उसका मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और उसकी खरीदशुदा भूमि के अडौस–पडौस भी नहीं बताये गये है। जबकि अपीलान्ट बाबूराम का खसरा संख्या 156 रकबा 176.09 बीघा भूमि पर उनके पिता लूणाराम के जीवनकाल से ही जो सेटलमेन्ट से खातेदार है।

15. अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न्यायालय हाजा के समक्ष मौके की मौका रिपोर्ट यानि वादग्रस्त ग्राम नूरे का खसं0 156, 157 की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाए जाने का पेश किया गया है जिसके सम्बन्ध में न्यायालय हाजा की ओर से तहसीलदार बाप को जरिये पत्रांक 137 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा उक्त खसरा संख्या 156 व 157 के राजस्व नक्शा लटठा ट्रेस की एवं DILRMP योजनान्तर्गत उक्त खसरान की तरमीम शुदा नक्शा की वस्तुस्थिती तलब की गई। जिस पर तहसीलदार बाप की ओर से अपने पत्रांक 477 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा उपरोक्त वांछित रेकर्ड तैयार किया जाकर भिजवाया गया जिसका भी अवलोकन किया जिससे अन्ततः यह वस्तुस्थिति सामने आई कि तहसीलदार बाप की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

17/11/2022

पेश किये जवाब में स्पष्ट दर्शाया गया था कि "खसरा संख्या 157 के नक्शा ट्रेस में बिना नम्बरी ख0सं0 156 के चिपते तरमीम हो रखी है। नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम में किसी प्रकार के कोई बटटा नम्बर दर्ज नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि ग्राम नूरे की भुर्ज के खसरा संख्या 157 के नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है लेकिन उक्त तरमीम में किसी प्रकार के खसरा नम्बर या बटटा नम्बर दर्ज नहीं है। उक्त तरमीम ख0सं0 156 के चिपती भूमि खसरा संख्या 157 में हो रखी है उक्त तरमीम को निरस्त किया जाना उचित है जिससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होगा।"

16. इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की ओर से तहसीलदार बाप को प्रस्तुत पत्र में भी यह अंकित किया हुआ पाया गया कि राजस्व ग्राम नूरे की भुर्ज के ख0सं0 157 में जो बिना बटटा नम्बर की तरमीम हो रखी है उसके आदेश पटवारी हल्का के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

17. अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 04.01.2022 को वादग्रस्त भूमि की मौके की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का रेस्पो0 के अधिवक्ता के द्वारा उनके विरोध स्वरूप प्रस्तुत की गई निर्णय नजीरों में अंकित तथ्यों से पूर्णतया सहमत है जिसमें साक्ष्य एकत्रित करने तथा मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने को न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार बताया है।

18. अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का मुख्य आधार "वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 157 के राजस्व रेकर्ड यानि राजस्व नक्शा लटठा की दिनांक 09.05.2015 को जारी छायाप्रति तथा दिनांक 07.04.2018 की जारी छायाप्रति में एकरूपता नहीं होकर विरोधाभास होने यानि पूर्व में जारी प्रमाणित प्रति में उल्लेखित तरमीम लालस्याही की रेखा अंकित नहीं होने और बाद की जारी छायापति में उल्लेखित तरमीम लालस्याही की रेखा अंकित होने तथा एक ऐसी रेखा जो ख0सं0 157 में खींचने को बिना किसी औचित्य अथवा बाबूराम के ख0सं0 156 की कम पड रही भूमि को पूरा करने हेतु खींची हुई मानते हुए उक्त कार्यवाही को न्यायोचित नहीं माना तथा उक्त बेनामी तरमीम को निरस्त कर रेकर्ड शुद्धि करना विधिसंगत बताया है," जिससे यह न्यायालय पूर्ण रूप से सहमत है।

19. साथ ही अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप ने यह भी माना कि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बाप को प्रेषित पत्र दिनांक 6.11.20219 में यह उल्लेख किया गया कि उसके पास ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं है जिसके तहत यह तरमीम की गई हो एवं तहसीलदार बाप द्वारा भी अपने जवाब में उक्त भूमि तरमीम को दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा किये जाने के आधार पर खसरा संख्या 157 में नक्शा लटठा में बिना बटटा नम्बर की गई तरमीम को निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो भी उचित प्रतीत होता है।

17/1/2022

20. अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के धारा 131 व 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश जारी किये जाने से पूर्व मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के कथन किया था तथा अपनी प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन आदेश का विरोध इस आधार पर किया है कि वादग्रस्त भूमि की रकबा अनुसार मौके पर भूमि कम है ऐसे में भूमि की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के पश्चात अपील का निर्णय किया जावे। अपीलान्ट इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय के समक्ष विधि अनुरूप प्रार्थना पेश कर उक्त आधारों पर चाराजोही करें।

21. उपरोक्त सभी तथ्यों एवं ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है जिससे उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

22. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप पारित अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 17 जनवरी,.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/1/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर